

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 26/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम 1. राजेश कुमार पुत्र नाथु लाल गुर्जर मैसर्स श्री देव मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, आमली बंगला चौराहा, जहाजपुर रोड, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
2. गोपाल गुर्जर पुत्र नाथु लाल गुर्जर मैसर्स श्री देव मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, आमली बंगला चौराहा, जहाजपुर रोड, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
—विपक्षी

— प्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—


- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेट्रोकार उपस्थित
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक 01.11.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी राजेश कुमार पुत्र नाथु लाल गुर्जर मैसर्स श्री देव मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, आमली बंगला चौराहा, जहाजपुर रोड, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु खोहा इत्यादि का विक्रय कर रहा था। राजेश कुमार पुत्र नाथु लाल गुर्जर मैसर्स श्री देव मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, आमली बंगला चौराहा, जहाजपुर रोड, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत खोहा डीप फ्रीज में 150 किलोग्राम रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की


  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./452/FSSA/2021/253 दिनांक 02.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स - 1111 खोहा से निर्मित सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोहा से निर्मित का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.07.2021 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

विभागीय पैरोकार ने खाद्य सुरक्षा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं एवं संलग्न दस्तावेजात को ही मूल बहस हेतु स्वीकृति दी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार विपक्षी का खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि B.R. reading of extracted fat at 40 C 44.3 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 से 43.0 (घी) होना चाहिये। इसी प्रकार reichert Value of Extracted Fat 13.47 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह कम से कम 26.0 (घी) होना चाहिये। इस प्रकार विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का उल्लंघन कर सबस्टैण्डर्ड खोहा का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी


  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./452/FSSA/2021/253 दिनांक 02.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स - 1111 खोहा सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि B.R. reading of extracted fat at 40 C 44.3 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 से 43.0 (घी) होना चाहिये। इसी प्रकार reichert Value of Extracted Fat 13.47 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह कम से कम 26.0 (घी) होना चाहिये। इस प्रकार विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का उल्लंघन कर सबस्टैण्डर्ड खोहा का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 50,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावे।


निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 2 श्री राजेश कुमार पुत्र नाथु लाल गुर्जर एवं गोपाल गुर्जर पुत्र नाथु लाल गुर्जर मैसर्स श्री देव मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, आमली बंगला चौराहा, जहाजपुर रोड, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान की प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)